<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री नसीम अहमद, 10, नजर बाग, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र सं0 व दिनांक	**35 / 12, 06.06.2011**
प्रार्थी की ओर से	**श्री नसीम अहमद।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

प्रार्थी श्री नसीम अहमद, 10, नजर बाग, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या-35 / 12 दिया गया है, जिसमें धातु से बने चम्मच Spoon (कीमती धातु से बने चम्मचों को छोड़कर), पर करदेयता पूछी गयी है।

2. प्रार्थी श्री नसीम अहमद उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-7 के अन्तर्गत कीमती धातुओं से बने बर्तनों, सिरेमिक वेयर्स व ग्लास वेयर्स के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के बर्तन, जिसमें प्रेशर कुकर / कढ़ाई भी सम्मिलित है, कलात्मक पीतल के समान एवं इंगटस (गुल्ली) के अन्तर्गत Spoon भी बर्तन की श्रेणी में आता है।

3. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ के पत्र संख्या-2420, दिनांक 05.11.2012 से आख्या प्राप्त हुई। प्राप्त आख्या में कहा गया कि सर्वश्री **हांकिन्स कूकर लि0 बनाम कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0** लखनऊ द्वितीय अपील सं0-048/2011, निर्णय दिनांक 16.5.2012 में किया गया था। उक्त निर्णय में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-7 की व्याख्या करते हुए " बर्तन " शब्द की व्यापकता को माननीय वाणिज्य कर अधिकरण की पूर्ण पीठ ने स्वीकार किया है। उक्त निर्णय के आलोक में " बर्तन " शब्द को प्रख्यापित करने, धातु से बने चम्मच को भी 4% की दर से करदेयता निर्धारित किये जाने पर विचार किया जाना उचित होगा।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-7 निम्नवत् है :-

‘‘All utensils including pressure cookers / pans except utensils made of precious metals, ceramic wares and glass wares, all brassware and ingots (gullies).’’

जहॉ तक Spoon (चम्मच) का सम्बन्ध है, इसे विभिन्न अंग्रेजी शब्दकोषों में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :--

(1) The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition में Spoon को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

Spoon (spoon)

n.1. A utensil consisting of a small, shallow bowl on a handle, used in preparing, serving, or

eating food.

2. Something similar to this utensil or its bowl, as: a. A shiny, curved, metallic fishing lure.;b. A paddle or an oar with a curved blade.3. Sports The three wood golf club.v.spooned, spooning, spoons

(2) Collins English Dictionary-Complate and Unabridged HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003 में Spoon को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

spoon [spu n]n :1. (Cookery) a metal, wooden, or plastic utensil having a shallow concave part, usually elliptical in shape, attached to a handle, used in eating or serving food, stirring, etc.2. (Individual Sports & Recreations / Angling) Also called spoonbait an angling lure for spinning or trolling, consisting of a bright piece of metal which swivels on a trace to which are attached a hook or hooks.

(3) Farlex Trivia Dictionary. 2012 Farlex, Inc. में Spoon को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

(3) spoon : runcible spoon-A three-pronged fork curved like a spoon and used as a serving utensil. cochleare-A spoon or spoonful of a medical prescription.

spoon bread-Soft combread served with a spoon; it is also called egg bread or butter bread.

toe-The outer edge of a spoon.

(4) Internet से Google Search से dictionary.com से Spoon की निम्न Definition स्पष्ट होती है :-

Spoon.noun.

a utensil for use in eating, stirring, measuring, ladling, etc., consisting of a small, shallow bowl with a handle; any of various implements, objects, or parts resembling or suggesting this;

(5) Webster's New World College Dictionary में Spoon को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

Spoon, noun a utensil consisting of a small, shallow, usually oval-shaped bowl and a handle, used for picking up or stirring food, etc. as in eating or cooking;

उक्त शब्दकोषों से Spoon (चम्मच) utensil की श्रेणी में होना स्पष्ट प्रतीत होता है। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-7 के अन्तर्गत utensil की भाँति 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की देयता से धातु से बने चम्मच (कीमती धातु से बने चम्मचों को छोड़कर) पर करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम की आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-7 निम्नवत है :-

''All utensils including pressure cookers / pans except utensils made of precious metals, ceramic wares and glass wares, all brassware and ingots (gullies).''

इंग्लिश शब्दकोषों के अनुसार चम्मच का प्रयोग, भोजन को तैयार करने में, भोजन को खाने में, भोजन को पकाने में, व उसकी आपूर्ति करने में किया जाता है । इसलिए Spoon (चम्मच) utensil की श्रेणी में आयेगा । अत: धातु से बने चम्मच (कीमती धातु से बने चम्मचों को छोड़कर) पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-7 के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 14 जनवरी, 2013

ह0 / 14.01.2013

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।